17- jk"Vªh; d`f"k chek ;kstuk

ifjp; %& प्राकृतिक आपदाओं, कृमियों एव रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में कृषकों को वित्तीय सहायता तथा बीमा कवरेज।

mn~ns'; %& कृषकों को कृषि में प्रगतिषील तरीका, उच्च मूल्य आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित करना।

fdz;kUo;u eq[; ,tsUlh %& एग्रीकल्चर इन्ष्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, म.प्र.क्षेत्रीय कार्यालय – क्वालिटी ग्लोबल, प्रथम तल, एन.एच–12, मैदा मिल के पास, भोपाल–462011

fudVe fdz;kUo;u ,tsUlh %& महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. मण्डला (म.प्र.) से सम्पर्क कर कृषक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

lfefr dk xBu %& जिला स्तर पर समिति गठित की गई है, इस समिति के अध्यक्ष कलेक्टर माहेदय हैं। समिति के अन्य सदस्य उपसंचालक कृषि, महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., लीड बैंक अधिकारी तथा इन्योरेंस कम्पनी के प्रतिनिधि हैं। यह समिति जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की मानिटरिंग करेगी।

jk"Vªh; d`f"k chek ;kstuk ekSle [kjhQ 2009 gsrq ekxZn'kZu

1- ऋणी कृषकों हेतु जो वित्तीय संस्थाओं से अधिसूचित फसलों एवं तहसीलों/पटवारी हल्कों के लिये फसल ऋण लेते हैं तो सम्पूर्ण ऋण राषि का बीमा करना अनिवार्य है। ऋणी कृषकों हेतु, ऋण राषि यदि परिषिष्ट में दिये बीमित राषि से अधिक हो तो भी सामान्य प्रीमीयम दर ही पूर्ण राषि पर लागू रहेगी। क्योंकि योजना के अनुसार सम्पूर्ण ऋण का बीमा आवरण होना अनिवार्य है।

2- यदि ऋण राषि परिषिष्ट में दिये गये बीमित राषि से कम है तो ऋणी कृषक स्वेच्छा पर अतिरिक्त बीमा आवरण परिषिष्ट में दर्षाई गई बीमित राषि/प्रीमीयम अनुसार ले सकते हैं।

3- वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिसूचित फसल के लिये वितरित ऋण का भी बीमा इस योजना के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से किया जाना है। ऋण के सुचारू आवरण एवं आवष्यक नियंत्रण हेतु बैक–अप रजिस्टर की स्थापाना की जावेगी। हालाकि बीमा नहीं करने योग्य ऋण किसान क्रेडिट कार्ड की उप सीमा में वितरित होते हों तो भी बीमा आवरण हेतु पात्र नहीं होंगे।

4- इस योजना के अन्तर्गत प्रीमीयम की राषि वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण के अतिरिक्त अलग से स्वीकृत की जावेगी। वित्तीय संस्थाओं द्वारा एकजाई माहवार घोषणा–पत्र, तहसीलवार, पटवारी हल्कावार, फसलवार तैयार कर प्राधिकृत नोडल कार्यालय के माध्यम से नियत अंतिम तिथि तक प्रेषित करने होंगे।

जिन फसलों की इकाई पटवारी हल्का अधिसूचित की गई है उनके घोषणा पत्र पटवारी हल्का नम्बरवार अलग–अलग बनाये जायेंगे एवं घोषणा पत्र में पटवारी हल्का नम्बर एवं मुख्यालय के नाम का उल्लेख करना भी अनिवार्य है।

5- ऋण–वितरित अवधि :– मौसम खरीफ 2009 हेतु अधिसूचित फसल हेतु वितरित ऋण की अवधि 01 अप्रैल, 2009 से 30 सितम्बर 2009 तक रहेगी।

6- ऐसे ऋणी कृषक जो वितरित ऋण राषि से अधिक राषि का (यदि ऋण राषि थ्रेसहोल्ह उपज के मूल्य या औसत उपज के 150 प्रतिषत मूल्य से कम है) फसल बीमा आवरण लेना चाहते हैं तो उनके लिये अऋणी कृषकों हेतु निष्चित की गई अंतिम तिथियॉ लागू रहेंगी, कृपया बिन्दु क्रमॉक 8 का अवलोकन करें। ऐसे कृषकों को नियत प्रारूप में प्रस्ताव–पत्र भी भर कर बैंक, संबद्ध सहकारी समितियों के पास जमा करने होंगे।

7- अऋणी कृषकों के लिये ही ऐच्छिक आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध हैं। वित्तीय संस्थाओं द्वारा अऋणी कृषकों के भी बीमा आवरण हेतु प्रस्ताव–पत्र लिये जायेंगे। तत्पष्चात् प्रस्तावों की जॉच कर, प्रीमीयम स्वीकार कर प्रस्तावों को इकजाई कर अऋणी हेतु निर्धारित घोषणा–पत्र बनाकर नोडल बैंक के माध्यम से नियम तिथि तक प्रेषित करेंगे। सभी अऋणी कृषक जो फसल बीमा आवरण चाहते हैं, का बैंक खाता होना/खोलना आवष्यक है।

8- अऋणी कृषकों के प्रस्ताव–पत्र बैंक षाखा/प्राथमिक सहकारी समिति द्वारा प्राप्त करने की अंतिम तिथि

क्रमष–आगे पृष्ठ पर ....

31 जुलाई 2009 या फसल की बुवाई से 1 माह तक, इनमें से जो भी पहले आता है, रहेगी व नोडल बैंक घोषणा–पत्रों को समेकित कर "एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड" को भेजने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2009 रहेगी।

9- ऋणी एवं अऋणी कृषकों से एकत्रित प्रीमीयम का 2.5 प्रतिषत सर्विस चॉर्ज मौसम की समाप्ति के पष्चात् संबंधी बैंक को भुगतान किया जायेगा।

10- यह सुनिष्चित करना होगा कि उनके क्षेत्राधिकार में अऋणी कृषकों से प्राप्त प्रस्ताव–पत्रों का भी फसल बीमा आवरण अनिवार्य रूप से हो एवं नोडल बैंक द्वारा यह सुनिष्चित किया जावेगा कि समस्त अधिसूचित फसलों/क्षत्रों हेतु वितरित ऋण का फसल बीमा आवरण अनिवार्य रूप से हो, एवं इस हेतु वित्तीय संस्थाओं जो कि उनके क्षेत्राधिकार में आती हो से पूर्ण एवं अचूक जानकारी प्राप्त करें एवं उनके द्वारा की गई किसी भी गलती/त्रुटि हेतु वित्तीय संस्थाऐं ही उत्तरदायी रहेंगी।

11- प्रीमीयम की गणना (बीमा राषि X प्रीमीयम दर)षुद्धता से की जानी चाहिए। लघु एवं सीमांत कृषकों (जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन हो) की शुद्ध प्रीमियम से अनुदान राषि घटातें हुए जमा करनी होगी। वर्ष खरीफ 2009 के लिये 10 प्रतिषत निष्चित की गई है शेष 90 प्रतिषत कृषक को स्वयं वहन करना होगा। अधिक प्रीमियम राषि प्रेषित किये जाने पर बाद में बीमा राषि/दायित्व बढ़ाने की पात्रता नही होगी।

jk"Vh; Ñf"k chek ;kstuk % e/;izns'k ¼[kjhQ 2009½

अधिसूचित फसल	फसल बीमा इकाई	क्षतिपूर्ति स्तर %	थ्रेषोल्ड उपज मूल्य तक आवरण/हेक्टेयर		अतिरिक्त बीमा आवरण/हेक्टेयर		कुल बीमित राषि/हेक्टेयर
			बीमित राषि	निष्चित प्रीमियम	बीमित राषि	वास्तविक प्रीमियम	
धान (असिंचित)	पटवारी हल्का	60	रू.3248.00 तक	2.50%	रू. 4872.00 तक	9.15%	रू. 8120.00
धान (सिंचित)	प.ह.	60	रू. 6650.00	2.50%	रू.9975.00	4.90%	रू. 16625.00
मक्का	प.ह.	60	रू. 5361.00	2.50%	रू. 8040.00	9.40%	रू. 13401.00
बाजरा	प.ह.	60	रू. 5030.00	3.50%	रू. 7545.00	5.30%	रू. 12575.00
तुअर	प.ह.	60	रू. 6804.00	2.50%	रू. 10206.00	4.25%	रू. 17010.00
सोयाबीन	प.ह.	60	रू. 6334.00	3.50%	रू.9501.00	5.50%	रू. 15835.00
ज्वार	तहसील	60	रू. 3992.00	2.50%	रू.5987.00	9.30%	रू. 9979.00
कोदो–कुटकी	तहसील	60	रू. 966.00	2.50%	रू. 1448.00	5.00%	रू. 2414.00
मूंगफली	तहसील	60	रू. 9810.00	3.50%	रू. 14714.00	5.55%	रू. 24524.00
तिल	तहसील	60	रू. 3570.00	3.50%	रू. 5355.00	5.55%	रू. 8925.00
कपास	तहसील	60	रू. 7586.00	5.50%	रू.11378.00	5.50%	रू. 18964.00
केला	तहसील	60	रू. 160991.00	6.35%	रू. 241486.00	6.35%	रू. 402477.00

rglhyokj chfer Qly %&

'kgiqjk %& [kjhQ – धान असिंचित, मक्का, तुअर, –––– jch – गेंहूँ असिंचित , राई/सरसों

fM.Mksjh %& [kjhQ – धान असिंचित , मक्का, सोयाबीन –jch– गेंहूँ सिंचित, गेंहूँ असिंचित, राई–सरसों, चना,अलसी

उपसंचालक कृषि
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला डिण्डोरी (म.प्र.)